

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 17, सोमवार, शके 1947- सितम्बर 08, 2025 <i>Bhadra 17, Monday, Saka 1947- September 08, 2025</i>	

भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
अधिसूचना
जयपुर, सितम्बर 04, 2025

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/17543444:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 13421 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत सरना डूंगर का राजस्व ग्राम चक बावडी एवं बासडी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर निगम जयपुर ग्रेटर (जिला जयपुर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर निगम में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत / राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर निगम में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं,
उप शासन सचिव (प्रथम)।